



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 152]

भोपाल, सोमवार, दिनांक 30 मार्च 2020-चैत्र 10, शक 1942

वाणिज्यिक कर विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 30 मार्च 2020

क्रमांक एफ ए 3-07/2020/1/पांच (22) : मध्यप्रदेश वृत्तिकर अधिनियम, 1995 (क्रमांक 16 सन् 1995) की धारा 6 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य शासन, एतद्वारा, निजी क्षेत्र के नियोजकों को, जिनके द्वारा कर का भुगतान 10 अप्रैल, 2020 तक तथा संबंधित विवरणी 15 अप्रैल, 2020 प्रस्तुत किया जाना है, को धारा 13 के शास्ति प्रावधानों से मुक्त करता है यदि उनके द्वारा इस देय कर का भुगतान 30 अप्रैल, 2020 तक कर दिया जाता है तथा धारा 9 की उप धारा (3) के शास्ति प्रावधानों से मुक्त करता है यदि उनके द्वारा संबंधित विवरणी 05 मई, 2020 तक प्रस्तुत कर दी जाती है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अदिति कुमार त्रिपाठी, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 30 मार्च 2020

क्र. एफ-ए-3-07-2020-1-पांच.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस आशय के आदेश क्रमांक एफ-ए-3-07-2020-1-पांच (22), दिनांक 30-03-2020, का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रसारित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अदिति कुमार त्रिपाठी, उपसचिव.

Bhopal, the 30th March 2020

No. F A 3-07/2020/1/V (22) : In exercise of the powers conferred by section 6 of Madhya Pradesh Vritti Kar Adhiniyam, 1995 (No. 16 of 1995), the State Government, hereby, exempts the private sector employers who are required to make payment of tax by 10th April, 2020 and file relevant return by 15th April, 2020, from the penalty under section 13, if the tax is paid on or before 30th April, 2020 and from penalty under sub-section (3) of section 9 if the return is filed on or before 5th May, 2020

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
ADITI KUMAR TRIPATHI, Dy. Secy.